



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2017 / 00225

दर्ज तिथि:-06.11.2017

1. हरजीराम पुत्र पूराराम  
जाति जाट निवासी आदर्श छोटू तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. लूम्भाराम पुत्र जीयाराम
2. उदाराम पुत्र जीयाराम
3. पदमो बेवा जीयाराम
4. वगताराम पुत्र पूराराम
5. केसाराम पुत्र मोतीराम
6. करनाराम पुत्र मोतीराम
7. चूनाराम पुत्र मोतीराम
8. राजों पत्नी मोतीराम
9. खेताराम पुत्र लच्छाराम
10. केहनाराम पुत्र लच्छाराम
11. निम्बाराम पुत्र लच्छाराम  
जाति जाट निवासी आदर्श छोटू तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
12. दौलीदेवी पत्नी लच्छाराम जाति जाट निवासी आदर्श छोटू फौत के कायम मुकाम  
प्रतिवादी संख्या 09 ता 11

.....असल प्रतिवादीगण

13. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री डालुराम चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री बाबूलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88, 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-10.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 164/9.2025 है0 मौजा आदर्श छोटू, खसरा संख्या 181/0.0567 है0, 182/50.6261 है0, 213/3.2132 है0 मौजा भोमाणी कड़वासरो की ढाणी पटवार हल्का छोटू तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण असालतन-वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। परंतु प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया। तत्पश्चात् वादी साक्ष्य प्राप्त की जाकर दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर दिनांक 27.01.2023 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1178 दिनांक 06.05.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1178 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b></p> <p>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 24.04.2024 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

<p><i>any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक/2024/158-170 दिनांक 26.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक/2024/158-170 दिनांक 26.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 164/9.2025 है0 मौजा आदर्श छोटू खसरा संख्या 181/0.0567 है0, 182/50.6261 है0, 213/3.2132 है0 मौजा भोमाणी कडवासरों की ढाणी पटवार हल्का छोटू तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल

खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 164/9.2025 है0 मौजा आदर्श छोटू खसरा संख्या 181/0.0567 है0, 182/50.6261 है0, 213/3.2132 है0 मौजा भोमाणी कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का छोटू तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
हरजीराम पुत्र पुराराम कौम जाट सा. देह	भोमाणी	182	4.3641	बा0दो0
खातेदार हिस्सा पूर्ण	कड़वासरों	182	6.3131	बा0दो0
रहन-आरएमजीबी शाखा होडू	की ढाणी	213	1.9425	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 12.6197 है0				
वगताराम पुत्र पुराराम हि0 1/4	भोमाणी			
लुम्भाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/12	कड़वासरों	181	0.0567	गै0मु0
उदाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/12	की ढाणी	182	39.9489	बा0दो0
पदमी पत्नी जीयाराम हि0 1/12		213	1.2707	बा0दो0
करना पुत्र मोती हि0 1/16	आदर्श			
केसा पुत्र मोती हि0 1/16	छोटू	164	9.2025	बा0दो0
चूना पुत्र मोती हि0 1/16				

राजो पत्नी मोती हि0 1/16 केहनाराम पुत्र लच्छाराम हि0 1/16 खेताराम पुत्र लच्छाराम हि0 1/16 निम्बाराम पुत्र लच्छाराम हि0 1/16 दोली देवी पत्नी लच्छाराम हि0 1/16 कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन-करना चूना राजो हिस्सा आरएमजीबी शाखा होडू				
कुल किता 04 रकबा 50.4788 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2017 / 00225

दर्ज तिथि:-06.11.2017

1. हरजीराम पुत्र पूराराम  
जाति जाट निवासी आदर्श छोटू तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. लूम्भाराम पुत्र जीयाराम
2. उदाराम पुत्र जीयाराम
3. पदमो बेवा जीयाराम
4. वगताराम पुत्र पूराराम
5. केसाराम पुत्र मोतीराम
6. करनाराम पुत्र मोतीराम
7. चूनाराम पुत्र मोतीराम
8. राजों पत्नी मोतीराम
9. खेताराम पुत्र लच्छाराम
10. केहनाराम पुत्र लच्छाराम
11. निम्बाराम पुत्र लच्छाराम  
जाति जाट निवासी आदर्श छोटू तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
12. दौलीदेवी पत्नी लच्छाराम जाति जाट निवासी आदर्श छोटू फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 09 ता 11

.....असल प्रतिवादीगण

13. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री डालुराम चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री बाबूलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 164/9.2025 है0 मौजा आदर्श छोटू, खसरा संख्या 181/0.0567 है0, 182/50.6261 है0, 213/3.2132 है0 मौजा भोमाणी कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का छोटू तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
हरजीराम पुत्र पुराराम कौम जाट सा. देह	भोमाणी	182	4.3641	बा0दो0
खातेदार हिस्सा पूर्ण	कड़वासरों	182	6.3131	बा0दो0
रहन-आरएमजीबी शाखा होडू	की ढाणी	213	1.9425	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 12.6197 है0				
वगताराम पुत्र पुराराम हि0 1/4	भोमाणी कड़वासरों की ढाणी	181	0.0567	गै0मु0
लुम्भाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/12				
उदाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/12				
पदमी पत्नी जीयाराम हि0 1/12				
करना पुत्र मोती हि0 1/16				
केसा पुत्र मोती हि0 1/16				
चूना पुत्र मोती हि0 1/16				
राजो पत्नी मोती हि0 1/16				
केहनाराम पुत्र लच्छाराम हि0 1/16				
खेताराम पुत्र लच्छाराम हि0 1/16				
निम्भाराम पुत्र लच्छाराम हि0 1/16	आदर्श छोटू	164	9.2025	बा0दो0
दोली देवी पत्नी लच्छाराम हि0 1/16				
कौम जाट सा0 देह खातेदार				
रहन-करना चूना राजो हिस्सा				
आरएमजीबी शाखा होडू				
कुल किता 04 रकबा 50.4788 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

हरजीराम बनाम लुम्भाराम

2017/00225

निर्णय दिनांक:-10.03.2025

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर

